न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

वाद संख्याः– 102/2013

1. निसार अहमद 64 वर्ष
2. गुलाम साबिर उम्र 54 वर्ष
3. मो0 हुसैन उम्र 45 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 नूरा उर्फ

4. फिरदोश स्त्री स्व0 नूरखां

समस्त जाति कायमखानी निवासीगण फतेहपुर इमामबाग वार्ड नम्बर 7 तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. मो0 रफीक उम्र 47 वर्ष
2. मो0 इरसाद उम्र 35 वर्ष पुत्रगण स्व0 नूरा उर्फ नूरेखां

समस्त जाति कायमखानी निवासीगण फतेहपुर इमामबाग वार्ड नम्बर 7 तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

3. खतीजा उम्र 70 वर्ष
4. जमीला उम्र 60 वर्ष
5. सफीया उम्र 50 वर्ष

} पुत्रीयां स्व0 यासीनखां

समस्त जाति कायमखानी निवासीगण फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

6. तहसीलदार महोदय रामगढ़
7. उप पंजियक महोदय, रामगढ़
8. गिरदावर हल्का हुडेरा तहसील रामगढ़
9. पटवारी हल्का हुडेरा तहसील रामगढ़
10. जिला कलेक्टर महोदय सीकर जिला सीकर राज0

...... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.01.2018

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वर्गीय नूरा उर्फ नूरेखां की सन्तान हैं तथा वादिया संख्या 4 फिरदोश स्व0 नूरा उर्फ नूरेखां की स्त्री हैं। नूरा उर्फ नूरेखां का देहान्त हो चुका है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 345/2 रकबा 4.300 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नारी तहसील रामगढ़ मे अवस्थित है जो सम्वत 2005 के पहले से ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जे कास्त मे शांति पूर्वक निरंतर बिना किसी बाधा के साधिकार रूप से चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व वति के नाम सम्+वत 2005 सम्वत 2010 व 2011 की खसरा गिरदावरी मे बतौर खुद काश्त दर्ज हो गया था उसके बाद भी वादी के नाम से गिरदावरियां बनी लेकिन गलती अथवा सहवन से प्रतिवादीगण 3 ता 5 के पिता स्व0 यासीन खां पुत्र रहीम खां के नाम दर्ज हो गया जो हजफ किया जाना न्योचित हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व उसके पिता स्व0 यासील खां ने उक्त वादग्रस्त आराजी को कभी भ्ज्ञी काश्त नहीह किया, अब यासीन खां का देंहान्त हो चुका है किन्तू खसरा गिरदावरी मे उनका नाम गलत चल रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 सम्वत 2011 के पहले से ही काबिज होने के कारण उद्घोषणा करवाने तथा खाता अपने नाम करवाने के अधिकारी है। विकल्पतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

खातेदार होने की सहायता पाने का अधिकारी है तथा जमाबंदी मे अपना नाम उद्घोषित किये जाने के अधिकारी है। अतः उद्घोषणा फरमाई जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 345/2 रकबा 4.300 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नारी तहसील रामगढ़ का खाता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिय नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबाब दावा पेश कर वाद मे वर्णित सभी तथ्यो को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 ने वादीगण के वाद का खंडन करते हुए जबाब दावा पेश कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 345/2 रकबा 4.300 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नारी तहसील रामगढ़ से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का किसी भी प्रकार का सम्बंध सरोकार नही है। प्रश्नगत भूमि हम उत्तरदाता/प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 स्व0 यासीन खां के एकान्तिक मालिकाना, काबिजाना, इश्तेमाली, खातेदारी अधिकार की रही है तथा प्रश्नगत भूमि हम उक्त प्रतिवादीगण के पिता द्वारा अर्जित पैत्रिक भूमि है, जो रा. का. अधिनियम प्रभावशील होने के पहले से उक्त प्रकार देरीना, कब्जे, काश्त, व अधिकार की रही है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का अथवा उनके कथित पूर्वजो नूरा उर्फ नूरे खां का विवादित आराजी से कोई सम्बध सरोकार नही रहा और न ही अब उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का वर्तमान मे ही है। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 ग्रामिण प्रवेश मे रहने वाली अशिक्षित महिलाये है, जिनको गलत राजस्व रिकॉर्ड का पता दावा दायरी के चला है। वादीगण व कथित प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का प्रश्नगत भूमि से किसी भी प्रकार का सम्बंध सरोकार नही रहा न ही उनके द्वारा कोई निर्माण अथवा कुण्ड बनवायी गई और न ही उनका कोई सामान पडा हुआ है बल्कि मौके पर हमारा ही कब्जा काश्त है। बरशो पूर्व प्रश्नगत भूमि को उत्तरदाता के पूर्वज अस्वस्थ होने के कारण बटाई पर बताई गई, जो निकट का परिजन था। वादीगण का सम्पूर्ण वाद पूर्णतः काल्पनिक व बनावटी है। अतः जबाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का प्रश्नगत भूमि के किसी अंश अथवा एक इंच भूमि भाग पर भी कब्जा काश्त नही रहा है। कब्जे के अभाव में वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का अथवा उनके कथित पूर्वजो नूरा उर्फ नूरे खां का विवादित आराजी से कोई सम्बध सरोकार नही रहा और न ही अब उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का वर्तमान मे ही है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62, प्रदर्श 02 खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 व 2010, प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 व 2011, प्रदर्श 04 खसरा गिरदावरी सम्वत 2005, प्रदर्श 05, 06, 07 फोटो प्रश्नगत भूमि प्रस्तुत किये। साक्ष्यवादी के रूप मे पी.डब्ल्यू 01 निसार खां पी. डब्ल्यू 02 सांवरसिहं पी.डब्ल्यू 03 बनवारी लाल पेश किये एवं बयान करवाये गये। गवाह सांवरसिहं के कथन किया कि मेरा खेत खसरा नम्बर 345/2 रकबा 4.300 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नारी तहसील रामगढ़ की उत्तरी दिशा मे है। मेरी जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त निसार खां व उनके भाइयों का ही चला आ रहा है अन्य व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नही है।मेरे द्वारा वादीगण की तरफ से कई बार काश्त की गई है, जिसकी मजदूरी आदि निसार अहमद द्वारा दी गई। इसी प्रकार गवाह ने कथन किया कि बनवारी लाल ने कथन किया कि खसरा नम्बर 345/2 रकबा 4.300 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नारी तहसील रामगढ पर वादीगण व प्रतिवादी संख्यां 01 व 02 का कब्जा काश्त उनके पिता नूरे खां के समय से चला आ रहा है। यासीन खां व उनकी तीनो पुत्रियां खतीजा, जमीला, व सफियां का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त कभी भी नही

आज भी नही हैं। उक्त कृषि भूमि मे दो पुख्ता कमरे , एक पानी का कुण्ड नूरें खां ने बनाया भूमि के चारों तरफ तारबंदी वादीगण ने कर रखी है। उक्त कृषि भूमि पर मेरे द्वारा कई बार की गई थी जिसकी मजदूरी निसार खां व उनके भाईयों द्वारा मुझे दी गई थी। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नही किये। बहस हेतु भी प्रतिवादीगण को काफी अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादीगण पेश नही हुए। साक्ष्य सांवरसिहं तथा बनवारी लाल शर्मा द्वारा वादीगण के वाद की पुष्टि होने से वाद डिक्री योग्य है।

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस वकील वादीगण पर मनन किया गया। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2005, 2009, 2010 व 2011 के कॉलम संख्या 09 मे नूरा उर्फ नूरेखां के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व की गिरदावरी सम्वत 2005 के कॉलम संख्या 09 मे नाम काश्तकार के रूप मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता नूरा मुसलमान का अंकन है। इसी प्रकार सम्वत 2010 की गिरदावरी मे भी कॉलम संख्या 09 मे खुद काश्त के रूप में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता नूरा मुसलमान का अंकन है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव मे आने से पूर्व लगातार गिरदावरियो मे अंकन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता नूरा मुसलमान द्वारा भूमि पर काश्त होना सिद्ध होता है। इन तथ्यो के आधार पर वादीगण खातेदारी अभिधारी का अधिकारी है।गिरदावरी सम्वत 2010 के कॉलम संख्यां 09 मे नूरा वल्द रहीम खां खुद काश्त का अंकन है। प्रदर्श 05, 06 व 07 मे नूरेखां द्वारा निर्मित पुख्ता दो कमरे व पानी का कुण्ड लगभग 25 वर्ष पूर्व से ही बना होकर तारबंदी की हुई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश किया है, जिसमे खसरा गिरदावरी को सबूत नही माना है। जबकि "**Gasht Girdawari –Evidentiary value- Girdawari is relevant u/s 35,Evidence Act and no formal proof is required**" तथा प्रतिवादीगण कोई साक्ष्य पेश नही करे तो दावा डिक्री किया जावेगा।

प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2005, 2009, 2010 व 2011, लगान की रसीदो व कई वर्षो के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता की काश्त दर्ज है। अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 डिक्री योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसील रामगढ के राजस्व ग्राम नारी पटवार हल्का हुडेरा में विवादित आराजी खसरा नंबर 345/2 रकबा 4.43 हैक्टेयर की यासीन पुत्र रहीम खां के नाम बनी खातेदारी निरस्त की जाती है। खसरा नंबर 345/2 रकबा 4.43 हैक्टेयर वाके ग्राम नारी तहसील रामगढ का खाता वादीगण व प्रतिवादी संख्यां 01 व 02 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेणु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर